न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण।

बंटवारा वाद सं0-76/06
सीआईएस संख्या -18/17

आदेश

दिनांक 23.01.2024

दिनांकः 23.01.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 25.04.2023 को आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रकिया संहिता में प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि वाद के प्रतिवादी सं0 9 रामप्रवेश सिंह की मृत्यु हो गयी है, और प्रतिवादी सं0 2 की मृत्यु 07.08.2020 को हो गयी है यह कि प्रतिवादी सं0 9 अपने पीछे अपनी विधवा रामरति देवी और एक पुत्री साक्षी देवी को छोड़कर मर गए हैं यह कि प्रतिवादी सं0 9 के स्थान पर उनके विधिक प्रतिनिधियों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें।

प्रतिवादी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आवेदन गलत अभिकथनों के आधार पर दिया गया है। मामले में आवेदन के कंडिका 1 में प्रतिवादी सं0 9 की मृत के बारे में कहा गया है जबकि कंडिका 2 में प्रतिवादी सं0 2 की मृत के बारे में कहा गया है यह कि आवेदन समय सीमा के पश्चात दिया गया है। अतः आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा किया जाए।

उभय पक्षों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 18 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के कंडिका 1 और कंडिका 2 में अगल अगल प्रतिवादी का नाम दिया गया है अतः आवेदन अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर है जिस कारण से आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश तृतीय
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।